21.11.24 पत्रावली पेश हुई

श्री वकील अभ्यर्थिगण की ओर से

उपस्थित नहीं हुआ।

आज न्यायालय समय में लगातार तीन बार आवाजें लगाई जाने एवं अदालत खुलने से पूर्व एक बार पुनः आवाजें लगाई जाने के उपरान्त भी कोई एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद में पैरवी नहीं करना चाहते हैं।

लिहाजा कोई एवं उनके वकील की अनुपस्थिति में वाद को सरसरी पर अक्स पैरवी एवं अक्स साक्षी से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Sin
Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:49 IST
Reason: SelfAttested